प्रेस नोट **07/01/2025**

मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी गैंग लीडर (डी-144) व जनपद स्तर का भू-माफिया और जनपद स्तर का टॉप टेन शातिर अपराधी अफजल अहमद व इसका भाई गैंग का सक्रिय सदस्य अमजद द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पिता के नाम से खरीदी गयी अचल संपत्ति (लगभग 01 करोड़ 51 लाख 05 हजार 702 रुपये कीमती) अन्तर्गत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस, थाना मरदह जनपद गाजीपुर व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी शातिर अभियुक्त अफजल अहमद पुत्र इरफान खान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर व इसका भाई गैंग का सक्रिय सदस्य अमजद पुत्र इरफान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने पिता इरफान पुत्र स्व0 जकी खान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर के नाम से मौजा नेवादा पठानपुरा तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में जमीन अराजी नं0 1646 रकबा 0.1260 हे0 के पूर्ण रकबे पर, अराजी नं0 1645 रकबा 0.0410 हे0 के आंशिक भाग पर एवं अराजी नं0 1653 रकबा 0.0760 हे0 के आंशिक भाग पर आलीशान भवन निर्मित है, जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ 51 लाख 05 हजार 702 रुपये है।

अभियुक्त अफजल अहमद एवं उसके भाई अमजद तथा उसके पिता के पास आय का ऐसा कोई वैध स्त्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती भूखण्ड को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 19.12.2024 को उक्त भूखण्डों को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 30.12.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 07.01.2025 को थाना दक्षिणटोला, कोतवाली पुलिस, थाना मरदह जनपद गाजीपुर व राजस्व टीम द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया।

चोरी की एक जोड़ी पायल के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.01.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दोहरी ज्वेलर्स से अभियुक्ता मुनिता पत्नी संजय निवासी पुरखीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के कब्जे से चोरी की 01 जोड़ी पायल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय

पर मु0अ0सं0 04/25 धारा 316(2),318(4)317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

1. मुनिता पत्नी संजय निवासी पुरखीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. एक जोड़ी पायल।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. उ0नि0 महादेव गुप्ता थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. म0का0 आरती सरोज थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. का वीर बहादुर साहू थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

पॉक्सो में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 07.01.2025 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बैराठपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 06/25 धारा 64,333,352,351(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र तारकेश्वर निवासी बैराठपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. आनन्द कुमार पुत्र तारकेश्वर निवासी बैराठपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
2. का0 अमरनाथ मौर्य थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. का0 सौरभ यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।